न्यायालय जिला दंडाधिकारी, पटना।

आदेश

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान संबंधी प्रेस विज्ञप्ति पत्र सं0 W-11013/01/2020-PWS/ दिनांक 10.06.2024 द्वारा 14.06.2024 तक जिले में उष्ण लहर की स्थिति बने रहने की सूचना दी गयी है।

उक्त सूचना के आलोक में निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 1167 दिनांक 10.06.2024 द्वारा सभी विद्यालयों में दिनांक 11 से 15 जून तक अवकाश घोषित किया गया है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के आलोक मे उष्ण लहर के कारण छात्रों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए मैं, **शीर्षत कपिल अशोक, भा0प्र0से0**, जिला दण्डाधिकारी, पटना, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–144 के तहत पटना जिला अन्तर्गत सभी **कोचिंग संस्थानों** के लिये शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता हूँ। कोचिंग संस्थान उक्त अवधि में अपने कार्यालय कार्यों को कर सकते हैं एवं इस दौरान ऑनलाईन माध्यम से कक्षाओं का संचालन किया जा सकेगा।

यह आदेश दिनांक **13.06.2024** से लागू होगा एवं दिनांक **15.06.2024** तक प्रभावी रहेगा।

यह आदेश दिनांक–12.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया।

(शीर्षत कपिल अशोक,भा0प्र0से0)
जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 6903/वि0, पटना, दिनांक 12/6/24

प्रतिलिपि :– वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना जिला/सभी थानाध्यक्ष, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/6/2024
जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

DISTRICT MAGISTRATE * PATNA *

E:/ SCHOOL ORDER

COURT OF THE DISTRICT MAGISTRATE, PATNA

O R D E R

In the press release letter, No. W-11013/01/2020-PWS/ dated 10.06.2024 regarding the weather forecast of the Indian Meteorological Department; it has been informed that the heat wave situation will continue in the district till 14.06.2024.

In the light of the above information, by order No. 1167 dated 10.06.2024 of the Director (Secondary Education), Education Department, Bihar, Patna, holiday has been declared in all the schools from 11th to 15th June, 2024.

In view of the possibility of adverse effect on the health and life of the students due to heat wave in the light of the forecast of the Indian Meteorological Department, **I, Shirsat Kapil Ashok, IAS, District Magistrate, Patna,** under Section 144 of the Code of Criminal Procedure, 1973, prohibit the educational activities for all Coaching Institutes of Patna District.

The order as mentioned above will come into force w.e.f. **13.06.2024** and will remain effective till **15.06.2024.**

This order has been passed on 12.06.2024 under my signature and the seal of the court.

12/6/2024

(Shirsat Kapil Ashok, I.A.S)
District Magistrate,
Patna.

Memo No 6903 /Legal, Patna, dated 12/6/24

Copy forwarded to SSP, Patna/All SDMs/All BDOs/All SHOs Patna District for information and necessary action.

Copy forwarded to District Education Officer, Patna for information and with a direction to ensure compliance of the above said order.

Copy forwarded to District Public Relation Officer, Patna for information and necessary action.

12/6/2024

DISTRICT MAGISTRATE * PATNA *

District Magistrate,
Patna.

E:/ SCHOOL ORDER